Springboard ACADEMY

भारतीय राजव्यवस्था



राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोट्स

(RPSC के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार)

AN INSTITUTE FOR IAS & RAS
Plot A-1, Keshav Vihar, Riddhi Siddhi Chouraha, Gopalpura Bye Pass Jaipur
M.No. : 9636977490, 8955577492, Website : www.springboardindia.org

INDEX

Topic	Page
1 संविधान की प्रस्तावना	1
2 देश का एकीकरण	6
3 अनुसूचियां 12	9
4 राज्य	11
5 भारतीय राजव्यवस्था की एतिहासिक प्रष्ठभूमि	19
भारतीय संविधान निर्मात्री सभा	29
6 मूल अधिकार	35
7 सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट रिट	55
8 राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व	61
मूल कर्तव्य	67
9 संविधान का भाग 5 - कार्यपालिका – राष्ट्रपति	70
उपराष्ट्रपति	80
प्रधानमंत्री	83
संसदीय शासन प्रणाली	90
संविधान संसोधन	94
संसद	97
बजट	125
10 उच्चतम न्यायालय	131
11 उच्च न्यायालय	134
12 राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका	139
13 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया	142
14 संघ लोक सेवा आयोग	143
15 वित्त आयोग	145
16 अंतर्राज्यीय परिषद्	150
17 आपातकालीन प्रावधान	152
18 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	156
19 स्थानीय प्रशासन व पंचायतें	158
20 निर्वाचन आयोग	165
21 केंद्रीय सूचना आयोग	169
22 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	170
23 केंद्रीय सतर्कता आयोग	173
24 लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013	174

Springboard ACADEMY

संविधान की प्रस्तावना

प्रस्तावना– संविधान की आत्मा

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न,समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिको को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास ,धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब मे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए दृढ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा मे आज तारीख 26–11–1949 (मिति मार्गशीष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छ विक्रमी) को एतदद्धारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।

संविधान की प्रस्तावना को **संविधान की कुँजी** कहा गया है।

प्रस्तावना मे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखण्डता शब्द 12 वे संविधान संशोधन द्धारा 1976 मे जोडे गये।

प्रस्तावना मे भारत की 5 विशेषताएं–

1. प्रभुत्व सम्पन्न
2. समाजवादी
3. पंथ निरपेक्ष
4. लोकतंत्र
5. गणराज्य
6. आर्थिक
7. राजनैतिक

5 प्रकार की स्वतंत्रता–

1. विचार
2. अभिव्यक्ति
3. विश्वास
4. धर्म
5. उपासना

2 प्रकार की समता/समानता–

1. प्रतिष्ठा

2. अवसर की समानता

– बंधुता– व्यक्ति की गरीमा व राष्ट्र की एकता व अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता।

– संविधान तैयार – 26 नवम्बर 1949

– संविधान लागू – 26 जनवरी 1950

संविधान बनाने मे लगा समय– 2 साल ,11 माह, 18 दिन

– संविधान निर्मात्री सभा मे नेहरू जी के उददेश्य प्रस्ताव पर हमारी प्रस्तावना आधारित है

– स्वतंत्रता ,बंधुत्व, समानता।

– हमारी प्रस्तावना 4 बातें बताती है–

1. शक्ति का स्त्रोत– जनता स्वयं।
2. राज्य की प्रकृति– सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न,धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी।
3. उददेश्य – न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बन्धुत्व की भावना।
4. कब – 26 नवम्बर 1949

–एन.ए. पालकी वाला– इन्होने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है।

–के. एम. मुंशी– प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्मकुंडली है।

–अर्नेस्ट बर्कर– प्रस्तावना संविधान का Key Note है।

–ठाकुर दास भार्गव– प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।

– प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है।– यह बात केशवानन्द भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कही।

–इससे पूर्व पहली बार बेरूवाडी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नही माना था। परन्तु पहली ही बार प्रस्तावना का महत्व बताया गया।

–बेरूवाडी केस– बंगाल v/s भारत सरकार।

–प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है – यह बात केशवानन्द भारती केस मे प्रुफ हुई।

प्र. संविधान का मूल ढांचा क्या है?

1. संविधान सर्वोच्च है। (संविधान की सर्वोच्चता)
2. सम्प्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक– भारतीय राजव्यवस्था का सम्प्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक स्वभाव है।
3. संविधान का धर्म निरपेक्ष स्वरूप
4. शक्तियों का पृथक्करण (कार्यपालिका, विधायिका, (व्यवस्थापिका) व न्याय पालिका के बीच पृथक्करण)
5. संविधान की संधीय प्रकृति।
6. Welfare State(Social, Economic, Justice)
 कल्याणकारी राज्य (सामाजिक, आर्थिक न्याय)
7. न्यायिक पुनरावलोकन
8. व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा।
9. संसदीय शासन प्रणाली
10. कानून का शासन
11. मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य
12. समानता का सिद्धान्त
13. मुक्त एवं स्वच्छ चुनाव।
14. स्वतंत्र न्यायपालिका
15. सविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति
16. न्याय की सुलभता।
17. **निम्न अनुच्छेदों के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां मूल ढांचे में है–**
 1. Article 32- संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
 2. Article 136- मूल अधिकारों के अलावा सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील की जा सकती है।
 3. Article 141- सुप्रीम कोर्ट के आदेश सारे देश मे लागू होंगे।
 4. Article 142- सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन की (प्रक्रिया)।

Springboard ACADEMY

–प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार–

1. परिपृच्छा
2. पहल
3. प्रत्यावर्तन
4. जनमत संग्रह

–अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार–

1. संसदीय शासन प्रणाली
2. अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली

(सामाजिक न्याय+आर्थिक न्याय= समवितरणात्मक न्याय)

– Article –1 (जब संविधान लिखा)

1. भारत का नाम– भारत व India होगा।
2. भारत एक राज्यों का संध है (Union of State)
3. भारत का संपूर्ण क्षेत्र– Territory of India
4. केन्द्र शासित प्रदेश– Union Territory
5. राज्यों का संध– Union of State

– Article-2 –नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारत के बाहर के राज्यों के ले सकते है।

– Article-3- भारत के राज्यों को केन्द्र सरकार कैसे भी तोड जोड सकती है।

–इसके लिए 2 Condition होनी चाहिए।

1. ऐसा कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत होगा।
2. वह प्रस्ताव संबंधित राज्य या राज्यो को भेजा जाएगा व उनका सुझाव लिया जाएगा, फिर वह राष्ट्रपति के निर्णयष पर आधारित होगा।

–संविधान संशोधन के प्रकार–

1. साधारण बहुमत
2. विशेष बहुमत– सदन की पूरी क्षमता का 50+1 प्रतिशत हो तथा उपस्थित मतदान का 2/3
3. आधे राज्यों की सहमति

Springboard ACADEMY

–1956 मे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम– इसमे पहली बार केन्द्र शासित प्रदेश बनाये गये उससे पूर्व भारत 4 तरह के राज्यों मे विभक्त था– ए,बी,सी,डी।

–1966 मे 18वां संविधान संशोधन धिनियम– इसमे अनुच्छेद–3 मे संशोधन किया –राज्य को तोड सकते है व साथ ही राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों को मिला सकते है व नये राज्यों का निर्माण कर सकते है अथवा उनकी सीमाओं मे परिवर्तन कर सकते है।

–इसके लिए विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद मे प्रस्तुत किया जा सकता है, तथा राष्ट्रपति का दायित्व है, कि वह अपनी संस्तुति देने से पूर्व संबन्धित राज्य या राज्यों का मत जानने के लिए विधेयक को भेजा जायेगा।

–राज्य का मत जानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।

–ऐसा प्रस्ताव संसद मे साधारण बहुमत अर्थात उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से पास किया जाएगा।

–अनुच्छेद 3 के तहत भारत के किसी भाग को किसी विदेशी सत्ता को नहीं दिया जा सकता।

–इस तरह का हस्तान्तरण अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत के माध्यम से किया जाएगा।

–सीमा निर्धारण के लिए अनुच्छेद 368 की जरूरत नहीं है।

–भारत एक विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है।

Springboard ACADEMY

देश का एकीकरण

–अक्टुम्बर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय किया गया।
–जम्मू कश्मीर के शासक हरिसिंह ने हस्ताक्षर किये।
–फरवरी 1948 को जूनागढ रियासत का विलय किया (जनमत संग्रह द्वारा)
– यहां का शासक पाकिस्तान भाग गया था।
–नवम्बर 1948 मे हैदराबाद रियासत का विलय (पुलिस कारवाई द्वारा)
–1954 मे पाण्डिचेरी को पुर्तगाल ने भारत को सौपा (यमन, करैकल, चन्द्रनगर का बंगाल में विलय)
– 1962 मे पाण्डिचेरी का भारत मे विलय
–**दादर नगर हवेली** का विलय 1961 में। तथा इसे 1954 में स्वतंत्र करवाया था। (पुर्तगालियों से)

राज्यों का पुनर्गठन

–1948 मे **धर आयोग** का गठन किया गया।
–इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया (एसके धर की अध्यक्षता में)
–इस आयोग ने भौगोलिक व प्रशासनिक व्यवस्था को राज्य पुनर्गठन के लिए आधार बनाने का समर्थन किया।
–इस आयोग की समीक्षा के लिए **जे.वी.पी आयोग(जवाहर लाल नेहरू,वल्लभ भाई पटेल, पटाभिसीतारम्मैया**) बनाया।
–इस आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया।(1948)
–1953 मे एक व्यक्ति **पोटी रामल्लु** के प्रयासों से **तेलगु भाषी प्रदेश–आन्ध्र प्रदेश** का गठन किया गया। (मद्रास प्रांत से अलग)
–**फजल अली आयोग** – का गठन किया गया। **(फज़ल अली, हृदय नाथ कुंजरू, के. एम. पणिकर**)

–इस आयोग ने 1955 में भाषायी आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया।
–यह पहला आयोग था जिसने यह मांग स्वीकार की।
– 1नवम्बर 1956 से इस आयोग की सिफारिश लागू कर दी गई।
– **फजल अली आयोग की सिफारिश–** भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, किन्तु एक भाषा एक राज्य का सिद्धान्त गलत है।

Springboard ACADEMY

–देश की एकता एवं सुरक्षा के सुदृढीकरण के दृष्टिकोण से भाषायी एवं सांस्कृतिक एकरूपता के दृष्टिकोण से ,वित्तिय ,आर्थिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से तथा प्रत्येक राज्य एव देश की जनता के वृहत,स्तर पर कल्याण के दृष्टिकोण से यह किया जाना चाहिए।

–राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 मे 14 राज्य व 6 केन्द्रशासित प्रदेश बने–

14राज्य– 1. आन्ध्र प्रदेश 2. आसाम 3. बॉम्बे 4. बिहार 5. जम्मू कश्मीर 6.केरल 7.मध्य प्रदेश 8. मद्रास 9. मैसूर 10.उडीसा 11पंजाब 12.राजस्थान 13.उत्तर प्रदेश 14पश्चिम बंगाल

6 केन्द्र शासित प्रदेश–

1. अण्डमान व निकोबार 2. दिल्ली 3 हिमाचल प्रदेश
2. 4. लकादीवी मिनिकॉय अमीनदीवी द्वीप समूह 5. मणिपुर 6. त्रिपुरा।

–आन्ध्रप्रदेश के नया राज्य बनने के बाद 1960 में बम्बई प्रान्त टूटा व 15 वां राज्य बना गुजरात।

–16वं राज्य बना– नागालैण्ड 1963 में नागा पहाडियां व आसाम के त्वेनसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैण्ड बनाया।

–1966 मे पंजाब का विभाजन हुआ– 17वां राज्य बना– हरियाणा

–1971 मे केन्द्र शासित प्रदेश हिमाचल व पंजाब के पहाड़ी इलाके को मिलाकर बना– हिमाचल प्रदेश 18वां

–1972 मे 19वां राज्य–मणिपुर, 20वां राज्य– त्रिपुरा, 21वां राज्य– मेघालय (आसाम से अलग)

–1947 तक सिक्किम एक शाही राज्य था जिस पर चांग्याल का शासन था। आजादी के बाद यह रक्षित राज्य बना।

–रक्षित राज्य– कुछ मुददे (रक्षा,संचार, विदेश संबध) भार देखेगा व अन्य सिक्किम स्वयं।

–1974 मे 35वे संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 2ए व अनूसुची 10 जोडी गई। जिसके तहत सिक्किम को भारत का संबबंध राज्य बनाया गया।

–1975 मे 36 वे संधिवान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया।

–1987 में 23वां राज्य– मिजोरम, 24वां राज्य– अरूणाचल प्रदेश, 25वां राज्य– गोवा।

–2000 मे 26वां राज्य– छतीसगढ , 27वां राज्य– उत्तराखण्ड, 28वां राज्य– झारखण्ड।

केन्द्र शासित प्रदेश

1. **दादर–नगर हवेली–** 1954 तक पुर्तगाल का शासन, 1961 तक स्थानीय जनता द्वारा चुना हुआ प्रशासक शासन करता था, 10वे संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 1961 मे इसे केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया।

2 **गोवा –दमन–दीव** पहले इकट्ठे ही थे। 1961 में पुलिस अधिग्रहण से 12 वें सविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा, दमन व दीव को 1 ही केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया

–1987 में जब गोवा को अलग से राज्य बनाया गया तो दमन–दीव एक ही केन्द्र शासित प्रदेश बन गया।

3–1954 में चन्द्रनगर ,माहे, कराइकल व यनम (जो कि फांसीसी उपनिवेश थे) को मिलाकर पाण्डिचेरी बनाया। यह भारत मे 14वं सं.सं.के माध्यम से केन्द्र प्रदेश बना।

4–1992 मे लकादीवी,अमीनीदीवी मिनिकॉय से लक्षद्वीप बना।

5– 1991 मे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना।

6– अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह।

7– चण्डीगढ।

–1950 मे संयुक्त प्रांत का नाम **उत्तरप्रदेश** रखा गया।

–1969 में मद्रास – **तमिलनाडू।**

–1973 में मैसूर– **कर्नाटक।**

–2006 मे उत्तरांचल– **उत्तराखंड।**

–2006 मे पांडिचेरी– **पुदुचेरी।**

–2011 मे उडीसा– **ओडिशा।**

Springboard ACADEMY

अनुसूचियाँ 12

अनुसूची 1– राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के नाम तथा उनकी सीमाओं का उल्लेख।

अनुसूची 2–महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के वेतन–भत्ते,राष्ट्रपति,राज्यपाल,लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष राज्यसभा का सभापति व उपसभापति विधानपरिषद का सभापति व उपसभापति ,सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायधीश व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

अनुसूची 3– शपथ– संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के प्रत्याशी– सांसद (संसद के सदस्य), राज्य के प्रत्याशी–विधायक (विधायक के सदस्य), नियंत्रक व महालेखा परीक्षक , सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायधीश।

अनुसूची 4–विभिन्न राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच सीटों के बंटवारे को बताया गया है।

–राज्य सभा सीट– 250

–वर्तमान में – 245

अनुसूची 5–अनूसूचित एवं जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। (आसाम, मेघालय, मिज़ोरम व त्रिपुरा को छोड़कर)

अनुसूची 6– आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित एवं जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे मे प्रावधानों का उल्लेख है।

अनुसूची 7– केन्द्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का उल्लेख है इसमें 3सूचियॉ दी गई है–

	प्रारंभ मे	वर्तमान मे
1. संघ सूची–	97 विषय	100
2. राज्य सूची–	66 विषय	61
3. समवर्ती सूची–	47 विषय	52

अनुसूची 8– संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है मूल संविधान में 14 भाषायें थी, जो वर्तमान मे 22 है। बाद मे जोड़ी गई भाषाएं–

15. सिन्धी– 21वे संविधान संशोधन द्वारा 1967

16. मणिपुरी– 71वे संविधान संशोधन द्वारा 1992

17. नेपाली– 71वे संविधान संशोधन द्वारा 1992

18 कोकणी– 71वे संविधान संशोधन द्वारा 1992

19 मेथिली– 92वे संविधान संशोधन द्वारा 2003

20 संथाली– 92वे संविधान संशोधन द्वारा 2003

21 डोगरी– 92वे संविधान संशोधन द्वारा 2003

22 बोडो– 92वे संविधान संशोधन द्वारा 2003

अनुसूची 9– यह अनुसूची प्रथम सं.सं. अधिनियम 1951 के द्वारा जोडी गई।

–इस अनुसूची मे ऐसे विभिन्न कानूनों का उल्लेख है जिसे विधायिका न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त रखना चाहती थी, किन्तु 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में इस अनुसूची में जो भी जोड़ा गया है वह न्यायिक पुनरावलोकन के अन्तर्गत है।

अनुसूची 10– 52वे सं.सं. द्वारा 1985 मे दल बदल निरोधक कानून जोडा गया।

अनुसूचि 11– 73वे सं.सं. अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान मे 11वी अनुसूची जोड़ी गई। इसमे पंचायतो का उल्लेख है जिन्हे 29 विषय दिये है।

अनुसूची 12– 74वे सं.सं. अधिनियम 1992 के द्वारा 12वी अनुसूची जोडी गई।

–इसमे नगर–पालिकाओं का उल्लेख है।

–इनको 18 विषय दिये गये।

–सुप्रीम कोर्ट के किसी भी पूर्व निर्णय को बदलने का अधिकार उससे अधिक संख्या मे गठित की गई पीठ के द्वारा ही किया जा सकता है।

Springboard ACADEMY

राज्य

राज्य,राज व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा है।

–राज्य का अर्थ प्रान्त न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है।

–यह एक अमूर्त अवधारणा है अर्थात इसे भौतिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किन्तु देखा नहीं जा सकता।

राज्य के तत्व– किसी भी राज्य में अनिवार्यतः निम्न 4 तत्व विद्यमान होते हैं।

1. **भूभाग–** एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियायें करती हो। जैसे– भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भूभाग है।
2. **जनसंख्या–** राज्य के भूभाग पर निवास करने वाला एवं ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता है। यदि जनसंख्या नहीं है,तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक है।
3. **सरकार–** सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनितिक शक्ति का प्रयोग करता हो।
 राज्य व सरकार में यही अन्तर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है।
4. **संप्रभूता–** राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी व भीतरी दबाव मे निर्णय करने के लिए बाध्य नही होना चाहिए।

प्रशासन के अंग

किसी भी राजव्यवस्था /शासन व्यवस्था में मूलतः तीन चुनौतियाँ होती है–

1. कानून बनाने की चुनौति।
2. कानून के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती।
3. व्यक्ति के आपसी विवादों या व्यक्ति और सरकार के विवादों के समाधान के लिए कानून के अनुसार न्याय व्यवस्था संचालित करने की चुनौती।

1 **विधायिका–** विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है।

–राजतंत्र प्रणाली मे यह कार्य सामान्यतः राजा के हाथ मे होता है अर्थात राजा की इच्छाओं को कानून का दर्जा मिलता है।

–धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली मे धर्म ग्रन्थों को कानून माना जाता है। तथा धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारियों को ही कानून का व्याख्याकार माना जाता है।

–आधुनिक काल में यह माना जाता है कि कानून का निर्माण जनता की इच्छानुसार होना चाहिए। छोटे देशों मे जनता की इच्छा को सीधे तौर पर जाना जा सकता है। इसलिए कुछ देशों मे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र मे निम्न चार प्रकार से जनता का योगदान रहता है।'–

1. **परिपृच्छा (Referendum)–** प्रस्तावित कानून जनता के समक्ष सीधे मतदान के लिए भेजा जाता है।
2. **पहल (Initiative)–** जनता कानून का प्रस्ताव विधायिका को भेजती है।
3. **प्रत्यावर्तन (Recall)–** जनता चुने हुए प्रतिनिधि को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले वापस बुला सकती है।
4. **जनमत संग्रह (Plebiscite)–** विधायिका किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनमत संग्रह के माध्यम से जनता की राय जानती है,तत्पश्चात विधायन करती है।(कानून बनाती है।)

–सामान्यतः बडे भू–भाग एवं अधिक क्षेत्रफल के कारण सारी जनता की राय जानना व्यवहारिक नही हो पाता है, इसलिए आजकल अधिकांश देशों मे प्रतिनिधी लोकतंत्र के माध्यम से विधायिका का गठन किया जाता है।

–इसके अन्तर्गत एक क्षेत्र विशेष का जन समुदाय अपने एक प्रतिनिधि को चुनकर विधायिका मे भेजता है व सभी क्षेत्रों से चुनकर आये प्रतिनिधी आपसी सहमति से कानूनों का निर्माण करते है। चूंकि ये सभी प्रतिनिधि जनता द्वारा इसी उददेश्य के लिए चुने जाते है, इसलिए मान लिय जाता है कि इनकी सहमति से निर्मित कानून वस्तुतः जनता की इच्छा के अनुसार ही बनाये गये है।

–सामान्यतः विधायिका दो सदनों से मिलकर बनती है। इसमें एक सदन जनता द्वारा सीधा चुना जाता है और उसकी कानूनों के निर्माण मे प्रमुख भूमिका होती है।

–दुसरे सदन की आवश्यकता मुख्यतः उन देशों से होती है, जो संघात्मक ढांचे के अनुसार संगठित होते है।

–संघात्मक ढांचे को सुरक्षित बनाये रखने के लिए दुसरे सदन मे सभी प्रांतों के कुछ सदस्यों को लिया जाता है। जैसे– भारत मे राज्यसभा व अमेरीका मे सीनेट।

–अधिकांश कानूनों के लिए इस सदन की सहमति भी आवश्यक होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि केन्द्र सरकार राज्यों की शक्ति को छीन ना ले।

–भारतीय विधायिका संघात्मक ढांचे पर आधारित है केन्द्र व राज्य सरकारें संविधान के अनुसार अपने क्षेत्रों के लिए विधान बनाती है।

–केन्द्रीय विधायिका द्विसदनीय है।

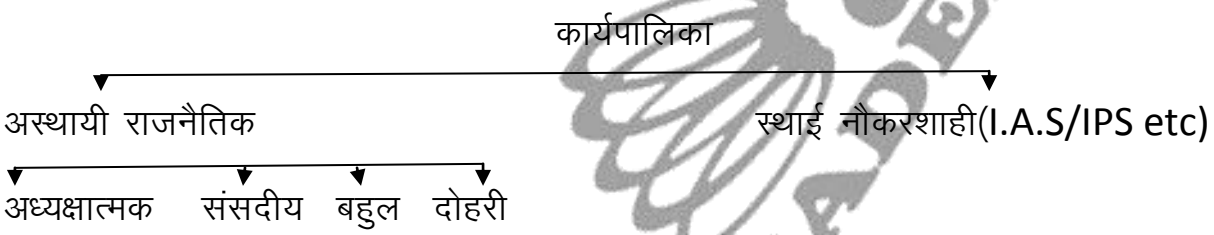
–विधायिका के एक अंग के रूप में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान करता है।

2 **कार्यपालिका–**

विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाले अथवा कानूनों को लागू करने वाले अंग को कार्यपालिका कहते है।

–प्राचीनकाल मे विधायिका और कार्यपालिका में भेद नही था जैसे राजतंत्र में राजा विधायिका का भी प्रमुख था तथा कार्यपालिका का भी प्रमुख था।

–आधुनिक काल मे लोकतंत्र और संविधानवाद के विकास के साथ–2 कार्यपालिका की संरचना मे अनेक परिवर्तन आए है। वर्तमान काल की कार्यपालिका को निम्न प्रकार से समझाा जा सकता है।



–**राजनैतिक कार्यपालिका–** यह कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती है जिसे जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुनती है।

–भारत मे मंत्रिपरिषद व अमेरीका मे राष्ट्रपति इसके उदाहरण है।

–स्थायी कार्यपालिका/नौकरशाही– इसमें उच्च अधिकारी शामिल होते हैं, इनका कार्यकाल किसी तरह के निर्वाचन पर निर्भर नही होता है।

–स्थायी कार्यपालिका को राजनैतिक कार्यपालिका के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होता है। अपने स्थायित्व के कारण अधिकारी तंत्र को प्रशासन के क्षेत्र मे विशेष दक्षता हासिल होती है, इसलिए जिन बिन्दुओं पर राजनैतिक कार्यपालिका ऐसी दक्षता मे वंचित होती हे वहां स्थायी कार्यपालिका उसकी सहायता करती हे।

–स्थायी कार्यपालिका का प्रमुख भी अस्थायी कार्यपालिका का मुखिया अर्थात मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रमुख होता हे। राष्ट्रपति अवास्तविक रूप से प्रमुख होता है।

अस्थायी कार्यपालिका के प्रकार–

1 अध्यक्षात्मक– यह प्रणाली अमेरिका मे प्रचलित है जहां जनता एक निर्वाचक गण के माध्यम से राजनैतिक कार्यपालिका के प्रमुख का चयन करती है। अपने अन्य मंत्रियों का चयन राष्ट्रपति स्वंय करता है जो विधायिका के सदस्य नही होते है।

2 **संसदीय–** यह प्रणाली भारत और इंग्लैण्ड जैसे देशों मे है। इसके अन्तर्गत विधायिका के सदस्यों मे से ही राजनैतिक कार्यपालिका का चयन होता है। विधायिका में जिस दल के सदस्य बहुमत में होते है। वही दल अपनी सरकार बनाता है।

–सरकार चलाने वाले इसके सदस्यों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।

–मंत्रिपरिषद **सामूहिक उतरदायित्व** के सिद्धान्त पर कार्य करती है।

–राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है सामन्यतः वह सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार की कार्य करता है।

3 **दोहरी प्रणाली–** कुछ शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास व कुछ शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती है।

–यह एक विशेष प्रणाली है जो कि फ्रांस जैसे कुछ देशों मे प्रचलित है।

–कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति में निहित होती है।

–राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह होता है और प्रधानमंत्री का चयन भारतीय, ब्रिटीश प्रणाली पर होता है।

4 **बहुल–** स्विट्ज़रलैण्ड मे यह प्रणाली है।

–इसमें राजनैतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य बराबर शक्तियाँ रखते हे।

–सर्वोच्च अधिकारी का पद नामपत्र का होता हे। सर्वोच्च अधिकारी प्रतिवर्ष सदस्यों में से बदलकर बनता रहता है।

3 न्यायपालिका–

न्यायपालिका शासन का तीसरा अंग है।

–न्यायपालिका का सर्वप्रमुख कार्य यह है कि वह विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करे। किन्तु वर्तमान मे न्यायपालिका की भूमिका में विधायिका के गुण भी सम्मिलित होने लगे है, क्योकि कई कानून इतने जटिल और अस्पष्ट होते है, कि न्यायपालिका को उसकी मौलिक व्याख्या करनी पडती है

–ये व्याखाएं स्वतः कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती है,जिन्हे **न्यायाधीश निर्मित कानून या निर्णय कानून** कहा जाता है।

–वर्तमान समय में इन्हे कानूनों की एक पृथक शाखा के रूप मे महत्व दिया जाता है। उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय निचली अदालतों के लिए पूर्व निर्णय कहलाते है। तथा इसके बाद के किसी भी मामले मे उस पूर्व निर्णय को आधार बनाना आवश्यक होता है।

–शासन का स्वरूप तथा संविधान का प्रकार न्यायपालिका की शक्तियों को निर्धारित करते है।

–एकात्मक शासन प्रणाली मे न्यायपालिका कमजोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती हे। जैसे– ब्रिटेन।

–**संघात्मक शासन प्रणाली** – इसमे न्यायपालिका को केन्द्र और प्रान्तों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का समुचित समाधान करने के लिए यह शक्ति दी जाती है कि वह केन्द्रीत विधायिका द्वारा निर्मित कुछ कानूनों को इस आधार पर अवैध घोषित कर सकती है, कि वे संघात्मक प्रणाली या संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।

–अमेरीका और भारत के उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है। अतः वे अत्यन्त शक्तिशाली है।

–**संविधान का प्रकार–** जिन देशों मे लिखित संविधान होता है वहां संविधान की सटीक व्याख्या करने का दायित्व भी न्यायपालिका के पास होता है जिससे न्यायपालिका की शक्ति और बढ जाती है। पुनः जिन देशों के संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारण्टी देते है वहा न्यायपलिका मूल अधिकारो की संरक्षक होती है और न्यायिक पुनरावलोकन की उसकी शक्ति और बढ जाती है।

–**विधी द्वारा स्थापित प्रकिया** (Procedure established by law)– एक ब्रिटिश सिद्धान्त है।

–**यथोचित विधीक प्रकिया** (Due process of law)– अमेरिका का सिद्धान्त है।

-NBA= News Broadcasters Association (चुनाव आयोग की शिकायते)

-PCI= Press Council of India (Complain for Print Media)

Paid News के लिए भारत में कोई नियम नहीं है।

–न्यायपालिका– भारत में विधायिका और कार्यपालिका संघात्मक है, किन्तु न्यायपालिका लगभग एकात्मक है क्योंकि केन्द्र और राज्यों के स्तर पर विभिन्न न्यायपालिका नही है।
–उच्च न्यायलय सीधे रूप में उच्चतम न्यायालय के अधीन होते है।

–न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को पहले से ही प्राप्त था, अब इसकी व्याख्या संविधान के आधारभूत लक्षणों के एक अंग के रूप में करके न्यायपालिका ने अपनी शक्ति और बढा ली है।

–**न्यायिक सक्रियता–** जब न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका के लिए निश्चित किये गये कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते है।

–**प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त–** प्राचीन व मध्यकाल में राजा का न्याय निरंकुश था, उसे यह सिद्ध नही करना पडता था कि न्याय की प्रक्रिया वस्तुनिष्ट और पारदर्शी है।
–आधुनिक काल में व्यक्ति का महत्व बढने से पारदर्शिता बढी है, जिसकी अभिव्यक्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के रूप में हुई है।

–प्राकृतिक न्याय एक गतिशील अवधारणा है अर्थात इसका अर्थ पूर्णतः सुनिश्चित न होकर समय के साथ बदलता रहता है।

–इसके अन्तर्गत निम्न बिन्दु आते है–

1. अभियुक्त को निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रखने का अवसर जरूर मिलना चाहिए।
2. न्यायाधीश को निर्णय सुनाने से पूर्व दोनों पक्षों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए।
3. न्यायाधीश को निर्णय करने की प्रक्रिया में अपने व्यक्तिगत विचारों आदर्शों व पूर्वाग्रहों से तटस्थ रहना चाहिए।
4. निर्णय सुनाते समय सिर्फ निर्णय ही नहीं अपितु वे कारण भी स्पष्ट किय जाने चाहिए जिनके आधार पर निर्णय किया गया है।
5. किसी भी आरोपित को स्वंय के विरूद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

–**विभिन्न आधारों पर लोकतंत्र–**

1. **जनता और शासन के संबंध के आधार पर–** प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष
2. **केन्द्र और प्रांत के संबंध के आधार पर –** एकात्मक – ब्रिटेन व संघात्मक– भारत, अमेरिका
3. **विधायिका और कार्यपालिका –** संसदीय – भारत, इंगलेंड व अध्यक्षात्मक – अमेरिका
4. **दलों की संख्या के आधार पर –** एक दलीय – रूस, चीन व द्विदलीय – अमेरिका, ब्रिटेन व बहुदलीय – भारत।

–एक दलीय– संविधान के स्तर पर एक ही दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। भूतपूर्व सोवियत संघ सहित अधिकांश साम्यवादी देशों मे यह प्रणाली प्रचलित है। जैसे– चीन में कम्युनिष्ट पार्टी एकमात्र दल है अन्य कोई प्रथम दल नही है। अन्य दलों का अस्तित्व इसी दल के अधीन हो सकता है। रूस, चीन

–**द्विदलीय–** अमेरीका– डेमोक्रेटिक पार्टी व रिपब्लिक पार्टी
ब्रिटेन – लेबर व कंजरवेटिव।

–**बहुदलीय–** नार्वे,फ्रांस ,इटली ,भारत।

–**उदार लोकतंत्र –** उदार लोकतंत्र का मूल विश्वास यह है, कि प्रत्येक व्यक्ति इतना विवेकी होता है, कि वह अपने बारे मे सर्वश्रेष्ठ निर्णय स्वंय ले सकता है इसलिए यदि सभी व्यक्ति स्वतंत्र मतदान के माध्यम से अपने राजनीतिक प्रतिनिधी का चयन करते है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना शासन स्वयं चलाते है तो यह एक उदार आदर्श स्थिति है।

–उदार लोकतांत्रिक प्रणाली की निम्न विशेषताएं –

1. एक से अधिक राजनितिक दल/प्रत्याशी
2. प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार
3. निश्चित अन्तराल के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव
4. राजनितिक पदों तथा अधिकारियों का मुक्त प्रतिस्पर्धा तथा योग्यता के आधार पर भरा जाना चाहिए/किसी वर्ग विशेष के कोई विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए।
5. जन संचार, मास मिडिया के साधनों पर सरकार का अनुचित दबाव व नियंत्रण नहीं होना चाहिए तथा सीमाओं के भीतर आलोचना का अधिकार भी दीया जाना चाहिए
6. न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए।

5 **विचाराधारा के आधार पर लोकतंत्र–**

1. उदारवादी लोकतंत्र
2. साम्यवादी लोकतंत्र
3. समाजवादी लोकतंत्र/लोकतांत्रिक समाजवाद

साम्यवाद– प्रांरभ कार्लमार्क्स ने किया, रूस– लेनिन ने बढाया, चीन– माओत्से तुंग ने बढाया।

–कार्लमार्क्स ने साम्यवादी लोकतंत्र की विचारधारा प्रस्तुत की।

–उत्पादन के समस्त साधनों पर कुछ लोगों का आधिपत्य है तथा अधिकांश जनंसख्या अपने जीवनयापन के लिए उन लोगों पर निर्भर है जो सामान्य व्यक्ति का शोषण करते है।

–शोषक कभी स्वेच्छा से शोषितों के हित मे कार्य नही करेगे अतः शोषितों को एक हो जाना चाहिए तथा शोषक सत्ता को समाप्त कर देना चाहिए चाहे हिंसा क्यो ना करनी पड़े।

–इसके बाद सर्वाहारा आम आदमी का शासन स्थापित होगा जिसमे सभी बराबर होगें। सभी से उनकी क्षमताओं के अनुरूप कार्य लिया जायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं दी जायेगी। इसी आधार पर वर्तमान में रूस व चीन की सरकारें कार्य करने का दावा करती है।

–**लोकतांत्रिक समाजवाद–**

समाजवादी लोकतंत्र साम्यवादी लोकतंत्र का एक उदारवादी रूप है जिसकी मान्यता है कि यदि उदारवादी लोकतंत्र की प्रणालियों को सही रूप मे लागू किया जाये तो वे सामाजिक व आर्थिक न्याय स्थापित करने में सक्षम होगे।

भारतीय लोकतंत्र इसी का उदाहरण है।

जैसे– 1.प्रगतिशील कराधान।

2 रोजगार का अधिकार।

3 समाज के वंचित वर्गो के लिए संरक्षणात्मक भेदभाव का प्रावधान।

4 बैकों का राष्ट्रीयकरण।

5 गरीबी निवारण की विभिन्न योजनाएं।

–लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यक्ति की गरिमा और समाज दोनो का महत्व है।

Springboard ACADEMY

भारतीय राजव्यवस्था की एतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत मे ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने के लिए आये थे।
–इन्हें भारत में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया था।
–बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के बाद प्रथम बार में कम्पनी को बंगाल,बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई।
–दीवानी– दीवानी से तात्पर्य है राजस्व संग्रहण व नागरिक न्याय की शक्ति।

–1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट–
1 इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई।
प्रथम गवर्नर जनरल **वारेन हेस्टिंग** था।
2 बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया जो कि पहले स्वतंत्र थे।
3 इसके माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश थे।
4 कम्पनी की सर्वोच्च सत्ता (गवर्निंग बॉडी) को राजस्व, नागरिक व सैन्य रिपोर्ट नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कहा गया।
उक्त एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी के राजनैतिक व प्रशासनिक महत्व को समझा तथा उसे नियमित व नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी।

–1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट– इसमें कम्पनी के वाणिज्यि एवं राजनैतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया।
–इसमें Court of Directors (निदेशक मण्डल) को वाणिज्यिक कार्यों की छूट दी,किन्तु राजनैतिक कार्यों के लिए Board of Control बनाया ।
–भारत में स्थित सभी ब्रिटिश क्षेत्र तथा परिसम्पतियों के सैन्य एवं नागरिक कार्यों पर निर्देशन एव पर्यवेक्षण की शक्ति Board of Control को दी।
–प्रथम बार द्वैध शासन लागू किया गया– Board of Control and Court of Directors

1833 का चार्टर एक्ट– बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
–सारी नागरिक व सैन्य शक्ति उसमें निहित की गई।
–भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक थे।
–बम्बई व मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। सारी शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल में निहित थी।

–ईस्ट इण्डिया कम्पनी का स्वरूप बदला यह व्यापारिक कम्पनी नहीं रही बल्कि प्रशासनिक संस्था बनाई गई जो ब्रिटेन के राजमुकुट की ओर से कार्य करेगी।
–प्रथम बार खुली प्रतियोगिता को भर्तियों में आधार बनाने का असफल प्रयास किया गया तथा भारतीयों को भी कम्पनी के पदों के उपयुक्त माना गया।
–इस एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार भारत की सरकार की संकल्पना की गई तथा यह केन्द्रीकरण की तरफ एक निर्णायक कदम रहा।

1853 का चार्टर एक्ट– इसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यपालिका कार्यों को अलग किया। 6 नये सदस्य जोड़े गये जिन्हें विधायी पार्षद कहा गया। अर्थात गवर्नर जनरल की एक विधान परिषद बनाई गई जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। यह एक छोटी ब्रिटिश संसद की तरह थी जिसमें वही प्रक्रियायें अपनाई जाती थी जो ब्रिटेन में अपनाई जाती थी।
–सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रांरभ ।
–दो प्रकार की सेवायें थी– पहली उच्च सेवाएं
दूसरी निम्न सेवाएं।
–इस एक्ट में उच्च सिविल सेवा भारतियों के लिए खोल दी गई, तथा एक्ट के प्रावधानों के तहत भारतीय सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकॉले समिति गठित की गई।
–यद्यपि कम्पनी को आगे कार्य करने की अनुमति दी गई, लेकिन निश्चित समयावधि नहीं दी गई।

1858 का भारत शासन अधिनियम– प्रथम स्वंतत्रता आन्दोलन के बाद भारत में ईस्ट इण्डिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया तथा सारी सत्ता ब्रिटिश राजमुकुट के अन्तर्गत आ गई। इस अधिनियम को Act for the Good Government of India (भारत की अच्छी सरकार बनाने के लिए बनाया गया अधिनियम) कहते हे।
–भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा चलाया जायेगा।
–भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय एवं गवर्नन जनरल कहा जाने लगा।
–वह भारत में ब्रिटिश राजमुकुट का सीधा प्रतिनिधि था।
–प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग था।
–Board of Control तथा Court of Directors समाप्त कर द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया।
–एक नये पद भारत का राज्य सचिव (Secretary of State for India) का सृजन किया गया।
–सम्पूर्ण सत्ता एवं नियंत्रण का दायित्व भारत के राज्य सचिव को दिया गया जो कि ब्रिटिश केबिनेट का एक सदस्य होता था।
–भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार समिति बनाई गई।

–इसमें कुछ सदस्य राजमुकुट की ओर से मनोनित थे तथा कुछ का मनोनयन Court of Directors की तरफ से था।

–15 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष भारत सचिव था।

–यह समिति एक नियमित निकाय थी जिसे भारत एवं इंग्लैण्ड में मुकदमे में एक पक्ष बनने का अधिकार था अर्थात यह किसी पर मुकदमा कर भी सकती थी, तथा इस पर मुकदमा किया जा सकता था। इनका ऑफिस ब्रिटेन मे ही था।

कमी–

–यह केवल एकात्मक ही नहीं अपितु पूर्ण एकात्मक शासन था। सम्पूर्ण क्षेत्र का विभाजन प्रान्तों मे किया गया था, जिसका मुखिया गर्वनल जनरल था। उसकी अपनी एक्जिक्यूटिव कांउसिल थी, किन्तु ये सभी भारत सरकार के ऐजेन्ट मात्र थे, तथा सारे काम वायसराय एवं गवनल जनरल के आदेशानुसार किये जाते थे।

–विधायिका, कार्यपालिका अथवा नागरिक या सैन्य आधार पर कोई विभाजन नहीं था।

–जनता की राय का किसी स्तर पर कोई महत्व नही था।

–1861 का भारत परिषद अधिनियम– 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को शासन में भारतीयों का सहयोग आवश्यक लगा। अतः उक्त अधिनियम में निम्न प्रावधान किये गये

1. वायसराय की विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप मे भारतीयों का नामांकन संभव हुआ। 1862 मे प्रथम बार लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के राजा, दिनकर राव को नामांकित किया।
2. बम्बई और मद्रास प्रांत को अपनी विधायी शक्तियां मिली अर्थात विकेन्द्रीकरण की दुबारा शुरूआत हुई।
3. इसके माध्यम से बंगाल, उत्तर–पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब मे क्रमशः 1862,1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ।
4. इसमे वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम व आदेश बनाने की स्वतंत्रता दी।
5. इसमें आपातकाल में वायसराय को विधायी परषिद की सलाह के बिना अध्यादेश लागू करने की शक्ति दी जिसकी अवधि 6 माह थी।

कमियाँ–

– ये प्रतिनिध्यात्मक नहीं थी।

–मात्र वायसराय के द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर चर्चा का अधिकार था।

– वायसराय की इच्छा से ही बिल प्रस्तुत किया जा सकता था।

–विधेयक के पास होने पर भी वायसराय को वीटो का अधिकार था तथा राजमुकुट के विचारार्थ रख लेने का भी अधीकार था।

–अध्यादेश को अत्यन्त व्यापक अधिकार दिया गया था।

1892 का भारत परिषद अधिनियम–

–इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढाई गई किन्तु बहुमत सरकारी सदस्यों का था।

–इसमें विधानपरिषद के कार्यों में वृद्धि की। जैसे– बजट पर चर्चा का अधिकार, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार।

–इसके माध्यम से भारतीय विधानपरिषद के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन प्रान्तीय विधान परिषद तथा बंगाल चैम्बर्स ऑफ कौमर्स के माध्यम से तथा प्रान्तीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, व्यापार संघ, नगरपालिका तथा जमींदारों के द्वारा किया जाना था।

–अन्तिम निर्णय वायसराय, गवर्नर का होता था।

यद्यपि उक्त अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नही हुआ किन्तु केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के लिए एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग किया गया।

1909 का भारत शासन अधिनिय–

–इसे मॉर्ले मिन्टो सुधार कहते है।

–लॉर्ड मॉर्ले भारत सचिव था तथा मिन्टो भारत का वायराय था।

–विशेषता–

–इसमें केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों की संख्या में काफी वृद्धि की गई।

–केन्द्रीय विधानपरिषदों में सरकारी बहुमत रखा गया किन्तु प्रान्तों मे गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी गई।

–विधानपरिषदों के चर्चा संबंधी अधिकारों में दोनों स्तरों पर वृद्धि हुई। जैसे– पूरक प्रश्न पूछना , बजट पर प्रस्ताव करना आदि।

–प्रथम बार भारतीयों को वायसराय व गवर्नर की कार्यकारी परषिद के सदस्य बनने की अनुमति मिली। सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे, जिन्हे वायसराय की कार्यकारी परषिद मे विधि सदस्य बनाया गया।

–मुस्लिमों के लिए साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त दिया गया, जिसके लिए पृथक निर्वाचक दल की बात की गई।

–विभिन्न निगमों चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारो के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया।

कमियाँ

– साम्प्रदायिक विभाजन क्षेत्र

–लगभग सभी अन्तिम निर्णय अनुत्तरदायी कार्यकारी के अधिकार क्षेत्र में थे।
–राष्ट्रवादियों की संसदीय शासन वाली उत्तरदायी सरकार बनाने में असफलता।

1919 का भारत शासन अधिनियम

–20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में एक उत्तर दायी शासन की स्थापना करना है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अखण्डनीय अंग की तरह होगा।
–इस आधार पर 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया,जिसे **मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार** भी कहते है।
–**मॉन्टेग्यु** भारत सचिव था तथा **चेम्सफोर्ड** भारत का वायसराय था।

विशेषताएं–
1 केन्द्रीय व प्रान्तीय विषयों की अलग सूची बनाई गई जिससे केन्द्र का राज्यों पर नियंत्रण कुछ कम हुआ। यद्यपि राज्यों को अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार था,किन्तु सरकार का ढांचा केन्द्रीय और एकात्मक ही रहा।

2 **प्रान्तीय विषयों को दो भागो मे बांटा गया**– आरक्षित और हस्तान्तरित।
– हस्तान्तरित विषयों पर गवर्नर विधायिका के प्रति उतरदायी मंत्रियों के माध्यम से शासन करेगा।
– आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से बिना विधायी परिषद के हस्तक्षेप करेगा अर्थात यह एक द्वेध शासन था।
– विधायिका में बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का था।
– इस अधिनियम में पहली बार **द्विसदनीय व्यवस्था** व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ ।
– इस प्रकार भारतीय विधानपरिषद के दो सदन थे– लेजिस्लेटिव असेम्बली (लोकसभा) व काउन्सिल ऑफ स्टेट (राज्यसभा)
–दोनों सदनों के बहुसंख्य सदस्य सीधे चुनाव के द्वारा चुने जाते थे। महिलाओं को मताधिकार नही दिया गया।
–शिक्षा,कर और सम्पत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया।
–वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोडकर तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था।
–इसमें मुस्लिमों के अतिरिक्त सिक्ख भारतीय, ईसाई एंग्लो इण्डियन व यूरोपीय लोगो के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया।
–लंदन में भारतीय उच्चयुक्त का पद सृजित किया तथा भारत सचिव के कुछ गैर कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानान्तरित किया

–एक लोकसेवा आयोग का प्रावधान किया गया।
–उच्च नागरिक सेवाओं के लिए गठित **ली आयोग** की सीफारिशों के आधार पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एक **केन्द्रीय लोक सेवा आयोग** का गठन किया गया।
–केन्द्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के अधिकार दिये गये।
–इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग क गठन का प्रस्ताव था जो कि 10 वर्ष के उपरान्त भारत की शासन प्रणाली का अध्ययन करेगा।

कमियाँ–

–कोई भी प्रान्तीय दल गवर्नर की स्वीकृति के बाद वायसराय की अनुमति के लिए रोका जा सकता था।
–यद्यपि प्रान्तों को अपने विषयों पर कानून बनाने का तथा टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था,किन्तु यह संघात्मक शक्ति वितरण नहीं थी क्योंकि यह शक्ति केन्द्र द्वारा प्रत्यायोजन के आधार पर दी गई थी।
–केन्द्रीय विधानपरिषद भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी।
–केन्द्र में उतरादायी सरकार की स्थापना नही थी। वायसराय भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के अधीन था।
–किसी भी विषय के केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय होने के अन्तिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था।
–अधिकांश विषयों पर गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना चर्चा नहीं की जा सकती थी।
–वित्त एक आरक्षित विषय था, जो कार्यकरी परिषद के सदस्य के अधीन था, अतः धन की समस्या के कारण कोई प्रस्ताव आगे नहीं बढ पाता था।
–आई सी एस के सभी सदस्य जिनके माध्यम से मंत्रियों को अपनी नीतियां कियान्वित करनी थी, वे भारत सचिव द्वारा भर्ती किये जाते थे। तथा मंत्रियों के स्थान पर भारत सचिव के लिए उत्तरादायी थे।

1920 में मद्रास में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार–

साइमन कमीशन– नवम्बर 1927 में 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय वैधानिक स्थिति को जानने के लिए एक 7 सदस्यीय आयोग गठित किया, जिसे **भारतीय वैधानिक आयोग** भी कहते है।
–आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, अतः सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया।
–आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 में ब्रिटिश सरकार को सौंपी जिसमे निम्न सिफारिशें थी –

1. द्वेध शासन का अन्त।
2. प्रान्तों में अधिक उतरदायी सरकार की स्थापना।
3. ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के संघ की स्थापना।
4. साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिए।

साइमन कमीशन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा तीन गोलमेज सम्मेलन किये गये।

–इनमें ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत व भारतीय रियासतों के प्रतिनिधी सम्मिलित हुए। जिसमें कोई सहमति नही बन पाई। उक्त चर्चाओं के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र बनाया गया, जिसे ब्रिटिश संसद को भेजा गया।

–कुछ संशोधनों के साथ इस समिति की सिफारिशों को भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया।

–साइमन कमीशन के 7 सदस्यीय आयोग में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के सदस्य थे।

साम्प्रदायिक अवॉर्ड–

अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसे साम्प्रदायिक अवॉर्ड कहा जाता है।

–इसके अन्तर्गत मुस्लिमों, सिक्खों, भारतीय ईसाइयों एंग्लो इण्डियन व यूरोपीयन के लिए पृथक निर्वाचन जारी रखा गया तथा दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई।

भारत शासन अधिनियम 1935 –

1 इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई जिसमें प्रान्तों और रियासतों को सम्मिलित किया।

–तीन सूचियां बनाई गई– पहली केन्द्रीय सूची– 59विषय
दूसरी प्रांतीय सूची– 54विषय
तीसरी समवर्ती सूची– 36विषय

–अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई।

–यह संधीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया।

2 प्रान्तों में द्वेध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रान्तीय स्वायतता प्रारम्भ हुई।

– राज्य सूची के विषयों में स्वतंत्रता दी गई तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई क्योंकि गवर्नर को मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना था जो कि प्रांतीय विधायिकों के लिए जवाबदेह थे।

3 संघीय स्तर पर द्वेध शासन प्रांरभ हुआ।
–संघीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तान्तरित में विभक्त किया गया।
–आरक्षित विषयों के लिए कार्यकारी पार्षदों जिनकी अधिकतम संख्या 3 निर्धारित थी के माध्यम से गवर्नर जनरल को शासन करना था तथा स्थानान्तरित विषयों का शासन 10 मंत्रियों के द्वारा किया जाना था जो कि विधानपरिषद के लिए उतरदायी थे।

4 इसमें 11 में से 6 प्रांतो मे द्विसदनात्मक प्रणाली प्रारंभ की–

1. बंगाल
2. बॉम्बे
3. मद्रास
4. आसाम
5. बिहार
6. संयुक्त प्रान्त

–उच्च सदन को विधानपरिषद कहा व निम्न सदन को विधानसभा कहा।
–साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढाया गया। दलितों ,महिलाओं, एवं मजदूरों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिये गये।
–1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत सचिव की भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर सलाहकारों का एक दल उपलब्ध करवाया गया।
–मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार दिया गया।
–संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया साथ ही संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा प्रान्तीय लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया।
–भारत की मुद्रा व साख नियंत्रण के लिए आरबीआई का प्रावधान किया गया।
–1 संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जो 1937 मे गठित हुआ।
–इसकी स्थापना अन्तर्राज्यीय विवादों तथा संविधान की व्याख्या हेतु की गई जिसकी अपील लंदन मे प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। महिलाओं को मताधिकार दिया गया।

कमियाँ विशेषताएं–

1 पूर्व के सभी अधिनियमों में भारत सरकार एकात्मक थी, इसके माध्यम से एक संघ का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें सम्मिलित होने का रियासतों को स्वेच्छता से अधिकार दिया गया था।
2 केन्द्रीय स्तर पर संघ नही बन पाया, किन्तु प्रान्तीय स्वायत्ता के तहत 1937 से शासन प्रारंभ हुआ।

– गवर्नर द्वारा प्रांतीय कार्यकारी दायित्वो का निर्वहन मुकट के प्रतिनिधी के रूप मे करना प्रारंभ किया, न कि गवर्नर जनरल के अधीनस्थ के रूप मे।
–गवर्नर द्वारा मंत्रियो की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य था,जो कि विधायिका के लिए उत्तरदायी उसे मंत्रियो की सलाह के स्थान पर वायसराय के माध्यम से भारत सचिव की ओर से कार्य करना था।
–गवर्नर जनरल द्वारा सुरक्षा ,विदेश संबंध,आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन तथा चर्च संबंधी विषयों को अपने द्वारा नियुक्त सलाहकारों के माध्यम से देखा जाना था, जबकि अन्य विषयों के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना था, जो कि विधायिका के लिए उत्तरदायी थी।
–इन कार्यों के सन्दर्भ में भी यदि गवर्नर जनरल को विशेष उत्तरादायित्वों का निर्वहन करना हो तो मंत्रिपरिषद की सलाह के विरूद्ध भारत के नियंत्रण एवं निर्देशन के कार्य कर सकता था।
–गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति के अतिरिक्त राजमुकुट भी केन्द्रीय विधायिका को वीटो कर सकता था।
–गवर्नर जनरल अपने विशेष उतरदायित्वों का हवाला देकर विधायिका में किसी भी चर्चा अथवा बिल को रोक सकता था।
–अध्यादेश की शक्ति के साथ गवर्नर जनरल को सदन के चलते रहने की स्थिति में भी कानून बनाने का अधिकार था।
–गवर्नर जनरल की विवेकाधीन शक्तियों में कमी करने वाला कोई भी प्रस्ताव उसकी पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता था।
–प्रांतो द्वारा पारित किये गये अधिकांश प्रस्तावो को गवर्नर जनरल अथवा राजमुकुट की स्वीकृति के लिए रोका जा सकता था।
–यद्यपि देशी रियासतें उक्त प्रस्ताव मे शामिल नही हुई तथापि केन्द्र सरकार और प्रान्तों के मध्य संघात्मक प्रावधान क्रियान्वित हुए, जो कि प्रत्यायोजन नही था।
–अवशिष्ट शक्तियां न तो केन्द्रीय विधायिका में निहित थी। और न ही प्रांतीय विधायिका में। गवर्नर जनरल दोनों में से किसी को भी प्राधिकृत कर सकता था।
–बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान था।

भारत शासन अधिनियम 1947–

–3 जुन 1947 को भारत के वायसराय माउन्ट बेटन ने विभाजन का प्रस्ताव रखा जिसे **माउन्ट बेटन योजना** कहते है।
–कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया।
–**भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947** बनाकर इसे लागू किया गया। इसकी निम्न विशेषताएं थी–
1 भारत मे ब्रिटिश राज समाप्त हुआ तथा भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र एव संम्प्रभु राष्ट्र घोषित किया गया।

2 इसमें भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाये, जिन्हे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से अलग होने की स्वतंत्रता थी।

3 इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनो डोमिनियन के लिए अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया, जिसकी नियुक्ति डोमिनियन केबिनेट की सिफारिश पर राजमुकुट को करनी थी।

– ब्रिटेन की सरकार पर भारत या पाकिस्तान की सरकार का कोई उतरदायित्व नहीं था।

4 इसके माध्यम से दोनों देशों की संविधान निर्मात्री सभा को अपनी इच्छानुसार संविधान बनाने एवं लागू करने का अधिकार मिला। साथ ही ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रदद् करने का अधिकार मिला।

5 इसने दोनों देशों की संविधान सभा को प्राधिकृत किया कि जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक अपने–अपने क्षेत्र के लिए ये कानून बनाने का कार्य कर सकेंगी।

–15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून दोनों देशों पर तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि संविधान सभा इसकी सहमति न दे।

6 ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया तथा इसकी सभी शक्तियाँ राष्ट्रमण्डल सचिव को स्थानान्तरीत हो गई।

7 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सम्प्रभुता समाप्त हो गई तथा रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने अथवा स्वतंत्र रहने की आजादी दी गई।

8 ब्रिटिश काल का ब्रिटिश राज का वीटो का अधिकार तथा स्वंय की अनुमति के लिए विधेयक को रोकने का अधिकार समाप्त हो गया। किन्तु कुछ परिस्थितियों मे गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया।

9 भारत के गवर्नर जनरल व राज्यों के गवर्नर को संविधानिक प्रमुख के रूप मे स्थापित किया, जिनकी शक्तियाँ यथार्थ न होकर नाममात्र की थी। इन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना था।

10 14–15 अगस्त की मध्यरात्रि ब्रिटिश शासन का अन्त हुआ तथा सत्ता दोनों डोमिनियन देशों को मिली।

– भारत के प्रथम गवर्नर जनरल **माउन्ट बेटन** तथा प्रथम प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू** को शपथ दिलाई।

–भारत की सविंधान सभा भारत की संसद की तरह कार्य करने लगी।

–पाक का गवर्नल जनलर– **मुहम्मद अली जिन्ना**

–सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचित होना– **गणतंत्र**

–सर्वोच्च शक्ति का वंशानुगत होना– **राजतंत्र**

–नीचे की शक्ति का जनता द्वारा चुना जाना– **लोकतंत्र**